राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ. 18/डीडीएमए/कोविड/2020/192 **दिनांकः 23.05.2020**

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण का खतरा है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने कि लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेश/निदेश दिए गए हैं।

और, जबकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसरण में , दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने फंसे हुए व्यक्तियों की आवाजाही के संबंध में पहले ही आदेश संख्या 122 दिनांक 01.05.2020, आदेश संख्या 129 दिनांक 03.5.2020 आदेश संख्या 132 दिनांक 04.05.2020, आदेश संख्या 165 दिनांक 15.5.2020 और आदेश संख्या 170 दिनांक 17.5.2020 जारी किए हैं।

और जबकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के डीओ पत्र संख्या 40–10/2020/–डीएम–1 (ए) दिनांक 18.5.2020 (प्रतिलिपि संलग्न) को जारी किया है, ताकि प्रवासी श्रमिकों के संकट को कम करने के लिए कुछ उपायों का क्रियान्वयन किया जा सके।

और, जबकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं0 40–3/2020/–डीएम–1 (ए) दिनांक 19.5.2020 (प्रतिलिपि संलग्न) ने गृह मंत्रालय के दिनांक 1.5.2020 के आदेश के अधिक्रमण में कड़ाई से अनुपालन करने हेतु फंसे हुए श्रमिकों की आवाजाही ट्रेन द्वारा कराने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) जारी किया है ।

अतः, अब, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 22 के तहत निहित शक्तियों के उपयोग के द्वारा, राज्य कार्यकारी समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिए जाते हैं कि राज्य नोडल अधिकारी, पुलिस के राज्य नोडल अधिकारी, राज्य /संघ शासित राज्यों के निर्दिष्ट नोडल अधिकारी , समस्त जिला मजिस्ट्रेट और उनके समकक्ष अपर उपायुक्त पुलिस के साथ–साथ जिला नोडल अधिकारी अर्थात् अपर जिला मजिस्ट्रेट और उनके समकक्ष अपर उपायुक्त पुलिस गृह मंत्रालय के पूर्वोक्त डीओ दिनांक 18.5.2020 द्वारा जारी उपायों का अक्षरशः और कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये । इसके अलावा, प्रवासियों के लिए अधिक विशेष रेलगाड़ियों की आवश्यकता का आकलन किया जाना चाहिए और रेलगाड़ियों को चलाने के लिए अनुरोध के साथ रेल मंत्रालय को सूचित किया जाना चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाये कि अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रवासी श्रमिक को सड़कों या रेलवे पटरियों पर न चलना पड़े।

सभी संबंधित प्राधिकरण, फंसे हुए श्रमिकों की आवाजाही ट्रेन द्वारा कराने हेतु मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, जिन्हें गृह मंत्रालय के पूर्वोक्त आदेश दिनांक 19.5.2020 द्वारा जारी किया गया है।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली.

प्रतिलिपि अनुपालनार्थ :–

1. श्री पी0के0 गुप्ता, प्रधान सचिव (समाज कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. श्री मुक्तेश चन्दर, विशेष आयुक्त, दिल्ली पुलिस/नोडल अधिकारी, दिल्ली पुलिस।
3. सचिव–सह–आयुक्त (परिवहन)।
4. प्रबंध निदेशक, दिल्ली परिवहन निगम।
5. समस्त राज्य/संघ राज्य विनिर्दिष्ट नोडल अधिकारी।
6. समस्त जिला मजिस्ट्रेट दिल्ली।
7. समस्त जिला उपायुक्त पुलिस, दिल्ली।
8. समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
9. दिल्ली पुलिस के समस्त अपर उपायुक्त पुलिस–1।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. आयुक्त पुलिस, दिल्ली।
11. प्रधान सचिव (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. सिस्टम अनेलिस्ट, मंडलीय आयुक्त दिल्ली का कार्यालय, दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाइल।